झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, धनबाद।

विज्ञापन संख्या – 01/2023

धनबाद जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन।

1. धनबाद जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ONLINE आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग–अलग जमा करेंगे।

नोटः– ''गृह रक्षा वाहिनी एक स्वंयसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वंयसेवी सदस्य होते है। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। **''यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है''**। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों''।

2. गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है, यह औपबंधिक संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्तिः–

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पुरूष/ महिला रिक्ति		
		पुरूष	महिला	कुल
01	धनबाद	29	29	58
02	बलियापुर	26	26	52
03	तोपचॉची	28	28	56
04	बाघमारा	14	14	28
05	टुण्डी	23	23	46
06	पूर्वी टुण्डी	51	51	102
07	गोबिन्दपुर	25	25	50
08	निरसा	32	32	64
09	एग्यारकुण्ड	50	50	100
10	कलियासोल	41	41	82
	कुल ग्रामीण	319	319	638

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :–

क्रमांक	शहरी क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
01	नगर निगम धनबाद	401	401	802
02	नगर परिषद चिरकुण्डा	19	19	38
	कुल शहरी	420	420	840

उपरोक्त दोनों कोटि (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. **अर्हताः–**

(क) आवासीयः–

(i) **ग्रामीण गृह रक्षकः–** अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहॉ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ONLINE आवेदन करेंगें। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगें।

(ii) **शहरी गृह रक्षक**– अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस शहरी क्षेत्र (नगर निगम धनबाद एवं नगर परिषद, चिरकुण्डा) का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगें।

(ख) **उम्र सीमाः**– 01–01–2023 को 19 से 40 वर्ष। (जन्म तिथि दिनांक–01.01.1983 से 31.12.2003 के बीच)

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगें।)

नोट :– जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात 1. जन्म प्रमाण पत्र (यदि है तो) 2. मैट्रिक एवं उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो (यथा–आधार कार्ड / निर्वाचन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड /जन्म प्रमाण पत्र / पासपोर्ट आदि) प्रमाण पत्र ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(ग) **शैक्षणिक योग्यता :–**

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास एवं उच्चत्तर संबंधित।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास एवं उच्चत्तर संबंधित।
(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(घ) **शारीरिक मापदंडः**– (ग्रामीण / शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)

(i) लम्बाईः– पुरूष– 162 से0मी0 (सामान्य / ओ0बी0सी0 / बी0सी0)
157 से0मी0 (अ0ज0जा0 / अ0जा0)
महिला– 148 से0मी0 (सभी के लिए)

(ii) सीनाः– पुरूष– 79 से0मी0 (सामान्य / ओ0बी0सी0 / बी0सी0)
76 से0मी0 (अ0ज0जा0 / अ0जा0)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

(ड़) **तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए)**– अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत / स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा–

चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाईसेंसधारी चालक (एच0एम0भी0 / एल0एम0भी0), रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलम्बर, आदि।
(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को ONLINE आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।)

4. **चयन प्रक्रिया**– गृह विभाग झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या 5442, दिनांक 20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(क) **शारीरिक जाँच परीक्षा**– इसके अन्तर्गत 1 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए–

जाँच	पुरूष	महिला
दौड़ (1 मील)	5 मिनट या पहले– 20 अंक 5 से अधिक 6 मिनट तक–10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले– 20 अंक 8 से अधिक 10 मिनट तक–10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।

ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट– 5 अंक (ख) 4′ – 4′3″ – 6 अंक (ग) 4′3″ – 4′6″ – 7 अंक (घ) 4′6″ – 4′9″ – 8 अंक (च) 4′9″ – 5′ – 9 अंक (छ) 5′ से अधिक– 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट– 5 अंक (ख) 3′ – 3′3″ – 6 अंक (ग) 3′3″ – 3′6″ – 7 अंक (घ) 3′6″ – 3′9″ – 8 अंक (च) 3′9″ – 4′ – 9 अंक (छ) 4′ से अधिक– 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट– 5 अंक (ख) 12′ – 13′ – 6 अंक (ग) 13′ – 14′ – 7 अंक (घ) 14′ – 15′ – 8 अंक (च) 15′ – 16′ – 9 अंक (छ) 16′ से अधिक– 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट– 5 अंक (ख) 9′ – 10′ – 6 अंक (ग) 10′ – 11′ – 7 अंक (घ) 11′ – 12′ – 8 अंक (च) 12′ – 13′ – 9 अंक (छ) 13′ से अधिक– 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड – न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड – न्यूनतम 10 फीट

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए–

जाँच	पुरूष	महिला
दौड़ (1 मील)	6 मिनट या पहले– 20 अंक 6 से अधिक 8 मिनट तक–10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले– 20 अंक 8 से अधिक 12 मिनट तक–10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेनेवाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट– 5 अंक (ख) 4′ से अधिक– 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट– 5 अंक (ख) 3′ और अधिक– 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट– 5 अंक (ख) 10′ और अधिक– 10 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट– 5 अंक (ख) 7′ और अधिक– 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड -- न्यूनतम 12 फीट	10 पौण्ड – न्यूनतम 8 फीट

(ख) **हिन्दी लेखन–क्षमता परीक्षा**:– शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) **तकनीकी दक्षता परीक्षा** (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):– शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईग होगा। पूर्णाक 100 एवं उत्तीर्णाक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आलोक में रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए है उन्हें निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।)

स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिये जायेंगे :–

स्नातकोत्तर	– 10 अंक
स्नातक	– 8 अंक
इण्टरमीडिएट	– 6 अंक
मैट्रिक	– 4 अंक

7. **आवेदन कैसे जमा करें:–** आवेदक केवल NIC DHANBAD के द्वारा उपलब्ध कराये गये **rportalhg.egovdhn.in** पर ही ~~किसी भी प्रज्ञा केन्द्र से~~ दिनाक–21/02/23 से दिनांक–17/03/23 तक अपना आवेदन ONLINE कर पायेंगें। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा OFFLINE / BY POST कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि मात्र 100/– रू0 है, जो ऑनलाईन **rportalhg.egovdhn.in** में उपलब्ध LINK से ही ONLINE भुगतान करना अनिवार्य होगा।
8. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य करेंगें।
9. एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर सम्बंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
10. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
11. आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 कार्यालय, धनबाद से सम्पर्क स्थापित करेंगे।
12. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
13. जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद मे दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर सम्बंधित अभ्यार्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जायेगा साथ ही उक्त आवेदक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

27.1.23 **जिला समादेष्टा,** झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद।	27.1.23 **वरीय पुलिस अधीक्षक** धनबाद।	27/1/23 **उपायुक्त** धनबाद।